(g) Sophisticated weapons have been provided to the police personnel deployed at the border.

(h) Water Wing of the BSF, Navy, Coast Guard and Customs have been guarding the sea routes by conducting Joint patrolling to check smuggling of arms, explosives etc.

Illegal Immigrants

3094. SHRI V.N. GADGIL: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) the total number of illegal immigrants in India;

(b) what action has been taken to deport them to their respective countries;

(c) how many have been deported so far; and

(d) how many have been deported since the present Government came to power?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI L.K. ADVANI): (a) to (d) As the powers under the Foreigners Act, 1946 to identify, detect and deport foreign nationals residing illegally in various parts of the country have been entrusted to the State Governments/Union Territory Administrations, such data is not centrally maintained.

The Government is, however, aware, of the problem of foreign nationals, including Bangladesh is who enter India surreptitiously from the neighbouring countries and are residing illegally in various parts of the country. Instructions have been issued to the State Governments/UT Admns. from time to time, to intensify efforts to identify and deport such illegally staying foreign nationals.

आतंकवादियों द्वारा मारे गए अर्द्ध-सैनिक बलों के जवानों और अधिकारियों के परिवारों को मुआवजे का दिया जाना

3095. प्रो० विजय कुमार मल्होत्राः क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान देश के विभिन्न भागों में आतंकवादियों द्वारा मारे गए अर्द्ध-सैनिक बलों के जवानों और अधिकारियों की संख्या कितनी है; और

(ख) उनके परिवारों को मुआवजे के भुगतान के लिए क्या-क्या नियम है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) पिछले 2 वर्षों के दौरान आतंकवादियों के साथ हुई मुठभेड़ों में केन्द्रीय अर्द्ध-सैनिक बलों के 232 कार्मिक मारे गए।

(ख) आतंकवादियों के साथ हुई मुठभेड़ में अपनी ड्यूटी निभाते हुए मारे गए कार्मिकों के परिवारों को निम्नलिखित सहायता दी जाती है:

(i) केन्द्र सरकार द्वारा 2 लाख रुपये की अनुग्रह राशि का भुगतान।

(ii) केन्द्र सरकार कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना (सी०जी०ई०जी०आई०एस०) के अधीन देय बीमा राशि का भुगतान।

(iii) उदारीकृत पेंशन प्रदान करना।

(iv) अंशदायी लाभ निधि तथा विशेष राहत निधि आदि से वित्तीय सहायता।

(v) राज्य सरकारों द्वारा प्रदान की गई अनुग्रहपूर्वक राशि का भुगतान।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित मामलों में भी सहायता दी जाती है:

(i) बल के मृतक कार्मिक के आश्रितों को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति।

(ii) विधवाओं को रेल भाड़े में रियायत।

(iii) विधवाओं को पेट्रोलियम उत्पादों की एजेन्सियों का आवंटन।

(iv) कुछ वित्तीय सहायता के अलावा विधवाओं का बिना किसी खर्च के पुनर्विवाह करवा कर उनका पुनर्वास करना।

न्यायिक हिरासत में हुई मौतें

3096. प्रो० विजय कुमार मल्होत्राः क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) दिल्ली में पिछले तीन वर्षों में कानूनी हिरासत में विभिन्न पुलिस थानों और तिहाड़ जेल में कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई;

(ख) इनमें से कितनी मौतें स्वाभाविक और कितनी अस्वाभाविक थीं;

(ग) अस्वाभाविक मौतों के लिए कितने-कितने व्यक्ति दोषी पाए गए और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई; और

(घ) हिरासत में मौते रोकने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) और (ख) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण-I में दी गयी है। **(नीचे देखिए)**

(ग) दिल्ली पुलिस ने 19 पुलिस कार्मियों, जोकि इन कथित अस्वभावित मौतों में शामिल थे, के विरुद्ध आरोप पत्र दायर किए हैं और मामला विचाराणाधीन है। इसके अलावा, अन्य छः पुलिस कर्मियों के विरुद्ध आपराधिक मामले दर्ज किए गए है और मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। इन अस्वभाविक मौतों से संबंधित विभिन्न चूकों के लिए पुलिस कर्मियों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई भी की गयी है/शुरू की गयी है/शुरू की जा रही है।

जहां तक केन्द्रीय कारागार, तिहाड़ का प्रश्न है, इन अस्वाभाविक मौतों के लिए किसी भी अधिकारी को जिम्मेवार नहीं पाया गया है।

(घ) हिरासत में मौतों को रोकने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की जानकारी संलग्न विवरण-II में दी गयी है।

विवरण-I

न्यायिक हिरासत में हुई मौतें

वर्ष	हिरासत में मरे व्यक्तियों की संख्या	स्वाभाविक मौतों की संख्या	अस्वाभाविक मौतों संख्या
क. दिल्ली पुलिस			
1995	3	—	3
1996	3	—	3
1997	7	1	6
1998 (30.6.98 तक)	1	—	1
ख. केन्द्रीय कारागार तिहाड़			
1995	39	35	4
1996	19	16	3
1997	25	18	7
1998 (3.7.98 तक)	10	8	2

विवरण-II

हिरासत में मौतों की रोकथाम के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

(क) दिल्ली पुलिस

(क) पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए और हिरासत में रखे गए व्यक्ति को अपने मित्र, रिश्तेदार अथवा अन्य किसी व्यक्ति, जिसे वह जानता हो अथवा जिसकी उसके कल्याण में दिलचस्पी लेने की संभावना हो, को सूचित करने का मौका दिया जाता है। इस प्रयोजनार्थ गिरफ्तार व्यक्ति को पुलिस स्टेशन का टेलीफोन भी उपलब्ध किया जाता है।

(ख) चुनिंदा पुलिस अधिकारियों द्वारा मानवाधिकार के उल्लंघन, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार आदि को रोकने के लिए, पुलिस स्टेशनों, पुलिस चौकियों, सहायता बूथों, चैक पोस्टों आदि का अचानक दौरा किया जाता है।

(ग) गैर कानूनी नजरबन्दी गैर कानूनी रूप से हथकड़ी लगाना, मामलों को पंजीकृत न करने आदि को रोकने के लिए पुलिस स्टेशनों और अन्य पुलिस स्थापनाओं की सावधिक जांच की जाती है।

(घ) पुलिस उपायुक्त और सहपुलिस आयुक्त के रैंक के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों द्वारा नियमित रूप से

पुलिस स्टेशनों का दौरा किया जाता है ताकि जनता की शिकायतों को मौके पर ही निपटाया या दूर किया जा सके।

(ङ) सभी पुलिस स्टेशनों में अभियुक्त व्यक्तियों आदि से पूछताछ के लिए रिपोर्टिंग रूम और थानाध्यक्ष के कमरे के समीप अलग से एक स्थान होता है जिसे "संक्रमण कक्ष" कहते हैं।

(च) उनके वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा जांच अधिकारियों को अमानवीय तरीकों को प्रयोग में लाने से से बचने के लिए ब्रीफ किया जाता है।

(छ) सभी संबंधितों को शराबी, नशाखोर और घायल व्यक्तियों को पुलिस स्टेशनों में न रखने के अनुदेश अलग से जारी किए गए हैं। पुलिस को इन्हें अस्पताल आदि ले जाने के निदेश हैं।

(ख) केन्द्रीय कारागार तिहाड़

(i) मानसिक अथवा अन्य बीमारी वाले कैदियों को उचित चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं और अन्य कैदियों से अलग रखा जाता है।

(ii) आत्महत्या की प्रवृत्ति वाले कैदियों पर निकट से नजर रखी जाती है;

(iii) रस्सी, धारदार हथियार, धातु के टुकड़े आदि जैसी वस्तुएं, जोकि आत्महत्या में सहायक/सहयोग देती हैं, जेल परिसर में ले जाने की अनुमति नहीं है;

(iv) जेल में चिकित्सा सुविधाओं को उन्नत किया गया है और प्रत्येक जेल में अपने एक औषधालय की व्यवस्था की गई है जहां चौबीस घण्टे डाक्टरों का एक दल उपलब्ध रहता है।

Surveillance Aircraft for BSF

3097. SHRI NARENDRA MOHAN: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether the purchase of six surveillance aircrafts required for airwing of the BSF was scrapped;

(b) if so, will this not effect the operational efficiency of the BSF especially when the proposed aircrafts were to be inducted for duty on the Jammu and Kashmir borders; and

(c) the steps Government propose to ensure that the objectives to be achieved by these aircrafts are adequately fulfilled?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI L.K. ADVANI): (a) to (c) BSF had intended to purchase surveillance aircrafts for surveillance of the international borders on the Western frontiers. On detailed examination, it was found that the fixed wing surveillance aircraft, which were proposed to be deployed mainly on western border, and not Kashmir, would not be cost effective. For operational efficiency of BSF, other surveillance devices have been tested and found to be more effective. Government will ensure that the objective of better management of international border is adequately fulfilled.

दिल्ली में कानून और व्यवस्था की स्थिति

3098. **श्रीमती शबाना आजमी:**
श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि पिछले कुछ महीनों में सरकार में परिवर्तन के बावजूद दिल्ली में कानून और व्यवस्था की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या दिल्ली में कानून और व्यवस्था की स्थिति में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा कोई नीतिगत तथा प्रशासनिक निर्णय लिए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) और (ख) जी नहीं, श्रीमान्। तीन महीनों (अप्रैल-जून, 1998) के दौरान अपराध विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत 16836 मामले सूचित किए गए जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 17820 मामले सूचित किए गए थे।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में कानून और व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा सरकार द्वारा समय-समय पर की जाती है। अपराधों की रोकथाय के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा उठाए गए कदमों में, अन्य बातों के साथ-साथ, बीट ग्रस्त को बढ़ाना, अनुकूल स्थानों पर सशस्त्र पिकटों की तैनाती, आसूचना नेटवर्क का सुदृढ़ीकरण, अपराधियों के छिपने के संदिग्ध ठिकानों पर कड़ी नजर रखना और निरन्तर छापे मारना, हिस्ट्री शीटरों